[redacted]

124

माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्र. क्र /17 निगरानी   P 1068-PBR-17

1. वजे सिंह आत्मज करणसिंह
2. भवरसिंह आत्मज पर्वतसिंह

दोनो निवासीगण ग्राम कुंवाड़िया

तह. महिदपुर जिला उज्जैन

.........प्रार्थीगण

प्रार्थी अभिभाषक श्री दिलेश शर्मा
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 17.2.17
अधीक्षक 17.2.17
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

105
17.2.17

विरूद्ध

1. कंकुबाई पति गोरू बंजारा
2. भुलीबाई पति बाबु बंजारा
3. गीताबाई पति मदन बंजारा
4. तोफानसिंह पिता सवसिंह
5. सवसिंह पिता करणसिंह

सभी निवासीगण ग्राम कुंवाड़िया

तह. महिदपुर जिला उज्जैन

.... प्रतिप्रार्थीगण

न्यायालय तहसील महिदपुर द्वारा प्र. क्र. 2अ/70/2015–16 में प्रदत्त आदेश दिनांक 30/11/2016 के विरूद्ध भू.रा.स. की धारा 250 के अंतर्गत निगरानी का आवेदन पत्र

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की और से अवधि में निम्नलिखित निगरानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत है –

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1. यह कि, प्रतिप्रार्थी कंकुबाई, गुलाबबाई तथा गिताबाई ने अधिनस्थ न्यायालय तहसील महिदपुर के समक्ष भू. रा. स. की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण वजेसिंह

निरंतर ....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1068–पीबीआर/17 [बजेसिंह आदि/कंकुबाई आदि] जिला **उज्जैन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–5–2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 43 एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् सीमांकन किया गया है जिसकी सूचना भी आवेदकगण को दी गई है, इसलिये सीमांकन को अवैध बताकर अनावेदकगण का मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाना उचित नहीं है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	